



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 179] नई दिल्ली, सोमवार, मई 12, 1986/वैशाख 22, 1908
No. 179] NEW DELHI, MONDAY, MAY 12, 1986/VAISAKHA 22, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग एकत्रण के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

मन्त्रिमण्डल मन्त्रिवालय

अधिभूचना

नई दिल्ली, 12 मई, 1986

का अ. 254 (अ) —रजिस्ट्रार, सविधान के अनुच्छेद 77 के खंड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य आवांटेन) नियम, 1961 में आगे और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् —

1. (1) इन नियमों का नाम भारत सरकार (कार्य आवांटेन) (एक सौ बारसोवा) संशोधन नियम, 1986 है।

(2) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

2 भारत सरकार (कार्य आवांटेन) नियम, 1961 में,—

(1) प्रथम अनुसूची में,—

(क) शीर्षक और प्रविष्टि 17 “संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्रालय” और उसके अन्तर्गत उपशीर्षको

के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक और प्रविष्टियाँ रखी जाएगी, अर्थात् —

“17. संसदीय कार्य मंत्रालय”;

(ख) शीर्षक और प्रविष्टि 23क “वस्त्र मंत्रालय” के पश्चात् निम्नलिखित शीर्षक और प्रविष्टि अंतर्भूत की जाएगी, अर्थात् —

“23क पर्यटन मंत्रालय”;

(2) द्वितीय अनुसूची में,—

(क) (i) शीर्षक “संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्रालय” के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात् —

“संसदीय कार्य मंत्रालय”,

(ii) उपशीर्षक “संसदीय कार्य विभाग” का लोप किया जाएगा

(iii) उपशीर्षक "ख. पर्यटन विभाग" और उसके अंतर्गत प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ,

(ख) शीर्षक "वस्त्र मंत्रालय" और उसके अन्तर्गत प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित शेष और प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी, अर्थात् :—

"पर्यटन मंत्रालय"

1. पर्यटन विकास
2. भारतीय पर्यटन विकास निगम और उसके अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के होटल/मोटल इस सूची में विनिर्दिष्ट विषय में से किसी के प्रसन्न के लिए पुरुताठ और अंकड़े ।

जेल सिंह,
राष्ट्रपति

[सं. 74/2/1/86-मंत्रि.]

दीपक दास गुप्ता, संयुक्त सचिव,

CABINET SECRETARIAT
NOTIFICATION

New Delhi, the 12th May, 1986

S.O. 254(E).—In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely :—

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) (One hundred and eighty-fourth) Amendment Rules, 1986.

(2) They shall come into force at once.

2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961,—

(1) In the First Schedule,—

(a) for the heading and entry "17. Ministry of Parliamentary Affairs and Tourism (Sansadiya Karya aur Paryatan Mantralaya)" and sub-headings thereunder, the following heading and entry shall be substituted, namely :—

"17. Ministry of Parliamentary Affairs (Sansadiya Karya Mantralaya)";

(b) after the heading and entry "23A. Ministry of Textiles (Vastra Mantralaya)", the following heading and entry shall be inserted, namely :—

"23B. Ministry of Tourism (Paryatan Mantralaya)";

(2) In the Second Schedule,—

(a) (i) for the heading "MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS & TOURISM (SANSADIYA KARYA AUR PARYATAN MANTRALAYA)", the following heading shall be substituted, namely :—

"MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SANSADIYA KARYA MANTRALAYA)";

(ii) the sub-heading "A. DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SANSADIYA KARYA VIBHAG)" shall be omitted;

(iii) the sub-heading "B. DEPARTMENT OF TOURISM (PARYATAN VIBHAG)" and the entries thereunder shall be omitted;

(b) after the heading "MINISTRY OF TEXTILES (VASTRA MANTRALAYA)" and the entries thereunder, the following heading and entries shall be added, namely :—

"MINISTRY OF TOURISM (PARYATAN MANTRALAYA)"

1. Development of Tourism.

2. India Tourism Development Corporation and Public Sector Hotels or Motels thereunder. Inquiries and Statistics for the purpose of any of the matters specified in this list.

ZAIL SINGH,
President

[No. 74/2/1/86-Cab]
DEEPAK DAS GUPTA, Jt. Secy.